संख्या-5404/12-3-2013-100(25)/2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 30दिसम्बर, 2013**

विषय- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि विभाग की इन्हांसमेंट ऑफ तिल कल्टीवेशन इन रेनफेड एरिया ऑफ यू.पी. योजना में वित्तीय वर्ष** 2013-14 **में मानक मद**-27-**सब्सिडी में स्वीकृत धनराशि रू**0-22525 **हजार में से रू**0-18835 **हजार की धनराशि डिसैंक्शन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्र संख्या-रा.कृ.वि.यो./806/**लेखा**-3/2013-14, **दिनांक** 8.11.2013 **एवं शासनादेश संख्या**-3112/12-3-2013-100(25)/2010, **दिनांक** 8.10.2013 **का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।**

2- **इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या**-3112/12-3-2013-100(25)/ 2010, **दिनांक** 8.10.2013 **द्वारा अनुदान संख्या**-11 **के लेखाशीर्षक**-2401-**फसल कृषि कर्म-आयोजनागत**-800- **अन्य व्यय**-03-**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**-0305-**कृषि विकास योजनायें के मानक मद**-27-**सब्सिडी में स्वीकृत धनराशि रू**0-22525 **हजार (रू**0 **दो करोड़ पच्चीस लाख पच्चीस हजार मात्र) में से रू**0-18835 **हजार (रू**0 **एक करोड़ अट्ठासी लाख पैंतीस हजार मात्र) को डिसैंक्शन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।**

3- **उक्त डिसैंक्शन की स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू**0-18835 **हजार (रू**0 **एक करोड़ अट्ठासी लाख पैंतीस हजार मात्र) का आहरण कोषागार से न किया गया हो।**

4- **उक्त शासनादेश संख्या**-3112/12-3-2013-100(25)/2010, **दिनांक** 8.10.2013 **इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।**

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

सं0-5404(1)/12-3-2013-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

2- **महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।**

3- **सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।**

4- **संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।**

5- **अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।**

6- **निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।**

7- **संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।**

8- **वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

9- **नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।**

10-**वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3**

11-**गार्ड बुक।**

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in